(iii) The price structure for these and competing categories of goods;

(iv) The existing marketing and distribution channels and organisation of the related industries in buying countries.

IMPORT OF CARTRIDGES

4661. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation of India allots a large quota of imported cartridges to the National Rifle Association of India; and

(b) whether the S.T.C. has put any conditions with regard to its proper distribution by the National Rifle Association of India to affiliated Rifle Clubs and individual members ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. S.T.C's. agreement with the NRAI stipulates that the goods would be supplied by the NRAI to Rifle Clubs, Rifle Associations and other recognised bodies or to *bona fide* members of the NRAI for their own use against a written undertaking that they would not resell them.

---

12 HRS.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

NEGOTIATIONS WITH UNDERGROUND NAGAS

MR. SPEAKER : We will take up the call attention notice.

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati) : Before you take up this, I have a point of order.

MR. SPEAKER : I cannot allow anything else now.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज (बम्बई-दक्षिण): कालिंग एटेंशन नोटिस पेश करने से पहले मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

MR. SPEAKER : That is exactly what he wanted which I did not allow. How can I disallow his *vyavastha* and allow yours ? If he wants to call attention, let him do so.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : आप उसको सुन लें । उनका दूसरा है । इस पर नहीं है ।

MR. SPEAKER : He has also the same point.

SHRI DHIRESWAR KALITA : No, my point of order is separate.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : मैं एक खुलासा चाहता हूं । नागाज़ का जो मामला है यह एक अर्से से इस सदन में तथा बाहर भी चर्चा का विषय बना हुआ है । कभी इस पर संरक्षण मंत्री का यहां पर बयान होता है, कभी गृह मंत्री का होता है, कभी विदेश मंत्री का होता है । यह बहुत अहम सवाल बन गया है । इसी वास्ते सरकार को सबसे पहले एक चीज़ की सफाई करनी चाहिए . . .

MR. SPEAKER : This has been asked a hundred times on the floor of the House.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : इसलिए मैं इस प्रश्न को उठा रहा हूं कि सरकार को जितनी गम्भीरता से इस पर सोचना चाहिये उतनी गम्भीरता से सरकार नहीं सोच रही है । इसके पहले भी अनेकों बार यह मसला यहां उठाया जा चुका है । प्रधान मंत्री से जब पूछा गया कि क्यों वह नागाओं से बातचीत कर रही हैं और चूंकि कई-कई विचारधाराओं के नागा लोग हैं इस वास्ते जब उनसे पूछा गया कि किनसे वह बातचीत कर रही हैं तो उन्होंने जवाब दिया था कि । "We are negotiating with the friendly hostile Nagas". कुछ मज़ाक और मसखरा इस अहम प्रश्न पर जो चलता है वह ठीक नहीं

है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में एक बार सफाई दे दी जाए कि कौन से मंत्री इसके जिम्मेदार हैं। यह मामला विदेश मंत्री के अधीन आता है, गृह मंत्री के अधीन आता है, संरक्षण मंत्री के अधीन आता है, किसके अधीन आता है। मामला बिगड़ता चला जा रहा है।

MR. SPEAKER : This question has been repeatedly raised. Whenever mention of Nagas is made, you have been repeatedly asking the question how the Foreign Affairs Ministry comes into the picture, it must be the Home Ministry, the Home Ministry will have to deal with it. For the last so many years, not now only, since I have been in Parliament I have been hearing it, and the question has not been resolved. If every time mention of Nagas is made you raise the same question, perhaps Government will give the same reply, and no useful purpose will be served, excepting taking away time. There are some other ways of compelling the Government to hand it over to the Home Ministry. This way of questioning is not going to help you or the House. At least for three years I have been hearing this.

श्री जार्ज फर्नान्डीज : दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इसका उत्तर दें क्योंकि कई चीजों का खुलासा उनको करना होगा।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर विदेश-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "छिने नागाओं द्वारा प्रधान मंत्री के साथ वार्ता के लिए रखी गई शर्तें, उदाहरणार्थ, श्री फिजो को भारत वापिस आने और वार्ता में भाग लेने की अनुमति देना।"

SHRI DHIRESWAR KALITA : On a point of order.

MR. SPEAKER : On his calling attention ?

SHRI DHIRESWAR KALITA : No.

MR. SPEAKER : Then you cannot.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT) : During the years 1966 and 1967. . .

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : हिन्दी में बोलिए।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : अंग्रेजी में नोटिस दिया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : जिसमें इच्छा हो बोलिये।

MR. SPEAKER : This is not proper. Any language he likes.

SHRI B. R. BHAGAT : During the years 1966 and 1967, the Prime Minister held six rounds of talks with the representatives of the Underground Nagas. The last such talk was held on the 5th October, 1967. Since that date the Underground representatives have not made a new request for holding talks; the laying down by them (Underground Nagas) of any conditions or pre-conditions, therefore, does not arise. Government's attention has, however, been drawn to recent press report, concerning some statements said to have been made *by sources close to the Underground Nagas*. Government have no authentic information concerning such statements, which might have been made by some citizens in their individual capacity. The House will therefore, appreciate that the questions raised in the Calling Attention Notice relate to hypothetical issues as the Government have not been approached on the subject.

As regards continuance of talks, the Government of India have always been willing to talk with the Underground representatives in the hope and belief that a peaceful solution in Nagaland, within the framework of the Indian Union, will eventually be found feasible. Government see no reason why this policy should be given up as long as the Underground abide by the terms of the Agreement on the Suspension of Operations. This policy has the full support of the State Government of Nagaland.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : मैं सब से पहले अपने निवेदन को दोहराना चाहता हूं कि नागा प्रश्न जो चल रहा है वह विदेश मंत्रालय के हाथ में न रह कर गृह मंत्रालय के पास आए ताकि यह गलतफहमी नागाओं के मन में न रहे कि हिन्दुस्तान से वे अलग हैं। यह उनकी एक बुनियादी मान्यता है। वे समझते हैं कि वे अलग देश हैं। हिन्दुस्तान का प्रदेश नहीं हैं। इस बात को वे बार-बार अपनी बातचीत में और वक्तव्यों में कहते रहे हैं। आगे उनको इस तरह की बात कहने का मौका न मिले इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रधान मंत्री इसका खुलासा करें ताकि यह झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाए।

उत्तर में यह कहा गया है कि हमारी ओर से उनको बुलाने की कोई बात नहीं है। लेकिन सात दिसम्बर को जो हिन्दुस्तान टाइम्ज़ में खबर छपी है उसमें स्पष्ट बात नागा नेताओं ने कही है। इस खबर में यह कहा गया है :

"Naga sources say that when the underground Naga emissaries went to London earlier this year, Prime Minister Indira Gandhi specifically asked them to persuade Mr. Phizo to return to India for continuing the negotiations. On the very day of their departure for London, the Prime Minister had told the emissaries that she was anxious for a quick settlement, but she was afraid this might not be possible without Mr. Phizo."

हमें इस बात का खुलासा चाहिए कि क्या सरकार की ओर से, और खास तौर से प्रधान मंत्री की ओर से, यह सुझाव बार-बार नहीं दिया गया था कि बातचीत को जारी रखने के लिए फ़िजो को यहां पर बुला लिया जाये, ताकि इस मसले को शीघ्र ही हल किया जा सके।

5 अक्तूबर की बातचीत के सिलसिले में भी एक नई बात नागाओं के नेताओं ने कही है। उस वक्त यह कहा गया था कि प्रधान मंत्री को विदेश जाना था। प्रधान मंत्री का हमेशा विदेश-भ्रमण रहता है। सुना है कि इस सत्र के खत्म होते ही वह फिर विदेश जा रही हैं। लेकिन विदेश-भ्रमण की उनकी जो हवस है, उसके बारे में कुछ कहने का यह मौका नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा है, उस वक्त यह कहा गया था कि चूंकि उन को विदेश जाना था, इसलिए नागाओं के साथ बातचीत करने के लिए जितना वक्त चाहिए, वह उन के पास नहीं रहा। अब 5 अक्तूबर की बातचीत के बारे में नागा लोग कहते हैं :

"Regarding the allegations of discourtesy during the Delhi talks. These sources said the fast and not made known hitherto was that a day before the incident when the underground delegation was hoping to meet Mrs. Gandhi the following morning, the Prime Minister's Secretary had met the leaders and told them that the had already purchased air tickets for their return the next day."

उन लोगो ने यह सीधा और स्पष्ट आरोप लगाया है कि बातचीत को तोड़ने के लिए हमारी ओर से कुछ नहीं किया गया, असल में हमें वापस भेजने की व्यवस्था प्रधान मंत्री की ओर से कर दी गई थी।

हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री इन सब बातों के बारे में स्पष्टीकरण करें।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : झंझट को तो सभी दूर करना चाहते हैं, लेकिन वह हमेशा इतनी आसानी से दूर नहीं होता है। कौन-सी मिनिस्ट्री नागालैण्ड के प्रश्न के बारे में यहां पर उत्तर दे मेरी राय में, इस से वहां के झंझट में कोई फ़र्क नहीं होने वाला है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : बराबर होता है।

श्री रवि राय (पुरी) : यह कहना ठीक नहीं है। यह घरेलू मसला है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस समय मैं यह नहीं कह रही हूं कि यह ठीक है या नहीं, या यह कि वह किस मंत्रालय में हो। इस पर

यहां बहस नहीं हो रही है। मैं केवल यह कह रही हूं कि अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि किसी एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में जाने से नागालैण्ड प्रश्न हल हो जायेगा, तो उस में कोई सत्य नहीं है।

माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न फ़िजो के बारे में पूछा है। उन्होंने कहा है कि जब कोई साहब लन्दन जा रहे थे, तो मैं ने उन से कहा कि फिजो का यहां आना ज़रूरी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैंने ऐसी कोई बात इस समय और किसी और समय, उन से या और किसी से नहीं कही है।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उस समय खंडन क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : तीसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही कि मेरे सेक्रेटरी ने नागा डेलीगेशन के लिए टिकट लिये, या उन से कहा कि टिकट ले लिये गये हैं। यह बात भी ठीक नहीं है। मेरे सेक्रेटरी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। टिकट लेने की एक लम्बी कहानी है।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : हम भी सुनना चाहते हैं वह लम्बी कहानी।

श्रीमती इंदिरा गांधी : कहानी यह है कि उन लोगों की देखभाल के लिये जो अफ़सर था, उसको उन्होंने कोई तारीख दी और कहा कि उस तारीख के लिए हमारी रिज़र्वेशन करा दी जाये। उन से कहा गया कि आज-कल मुश्किल है, क्योंकि कोई न कोई त्यौहार था, उस ज़माने में काफ़ी बुकिंगज़ थीं और टिकट मिलना आसान नहीं था। तो शायद किसी ने उनसे कहा कि अगर वे बता सकें कि वे कब जाना चाहते हैं, तो हम पहले से रिज़र्वेशन करा लें, ऐसा न हो कि बाद में न मिले। इस में थोड़ी गलतफहमी हुई। मुझे बताया गया है कि पहले से उन की बुकिंग 6 अक्तूबर और 7 अक्तूबर दोनों के लिए हुई थी, ताकि वे चुन लें कि वे किस दिन जायेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम 9 अक्तूबर को जाना चाहते हैं। तो 9 अक्तूबर के लिए बुकिंग की गई। फिर उन्होंने कहा कि हम 7 अक्तूबर को जाना चाहते हैं। तो घड़ी घड़ी उन्होंने राय भी बदली। जहां तक हम ने मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्नल ऐफेयर्ज वगैरह के लोगों से पूछा है, किसी की भी ज़रा भी ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि किसी किस्म की विनम्रता उनके साथ हो और अगर उन को ग़लतफहमी हुई, ...

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण) : अगर रेवल्ज़ के साथ डिसकर्टसी भी कर दी, तो क्या हो गया ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : हम किसी के साथ बेअदबी नहीं करना चाहते हैं।

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज़ : प्रधान मंत्री ने उत्तर देते हुए जो कुछ कहा है, वह सदन को गुमराह करने वाली बात है। वह कह रही हैं कि नागालैण्ड का मामला गृह मंत्रालय देखे या वैदेशिक कार्य मंत्रालय देखे या सुरक्षा मंत्रालय देखे, इस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका यह कहना गुमराह करने वाली बात है। मेरे पास यह पुस्तिका है, जिस में दिया गया है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय किन किन विषयों के लिए उत्तरदायी हैं। इस के 76 नम्बर पन्ने पर दिया गया है कि नागालैण्ड राज्य सम्बन्धी मामला वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को हमेशा के लिए दिया हुआ है, जिस का नतीजा यह हो रहा है कि नागालोग साफ़ और स्पष्ट कह रहे हैं कि हम हिन्दुस्तानी नहीं हैं, हम इस देश के नहीं हैं और इस सरकार ने इस बात को इस पुस्तिका में कुबूल किया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : प्रधान मंत्री का उत्तर बिल्कुल गलत है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, विरोधी नागाओं का ज़रूर यह नारा है, लेकिन सब नागाओं की यह बात नहीं है।

श्री कंवरलाल गुप्त : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि नागा होस्टाइल्ज के साथ, या फ्रैंडली नागा होस्टाइल्ज के साथ बातचीत चलती रहेगी और उस से देश को भी लाभ होता है क्योंकि उन लोगों की सबवर्सिव एक्टिविटीज बन्द हो जाती हैं। समाचारपत्रों के अनुसार वहां पर वस्तु-स्थिति यह है कि असम के एक भाग, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, को होस्टाइल नागाज ने कब्जे में कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने कई जगहों पर हमारे मिलिटरी के कैम्प्स पर एटैक किया और हमारे सिपाहियों को भी मारा। उन्होंने हमारे सिविल आफ़िसर्ज को भी किडनैप कर लिया। उनकी होस्टाइल एक्टिविटीज साथ-साथ चल रही हैं। इससे हमारी नागालैण्ड गवर्नमेंट का डीमारेलाइजेशन हो रहा है। सरकार कहती है कि हमारी शर्त यह है कि अगर वे "विद इन यूनियन" रहेंगे, तो हम उन के साथ बातचीत करेंगे, वर्ना नहीं। होस्टाइल नागाज कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट नागालैण्ड चाहते हैं। वे भी बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं और गवर्नमेंट भी बातचीत करने के लिये तैयार रहती है। वे लोग अपना स्टैण्ड रखे हुए हैं और गवर्नमेंट अपना स्टैंड रखे हुए है। गवर्नमेंट कई सालों से उन लोगों से बातचीत कर रही है। मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी स्टेज पर उन्होंने यह माना है कि हम इंडियन यूनियन में रहने के लिए तैयार हैं। यह एक स्पेसिफिक सवाल है। उन लोगों की ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं, यह केवल नागालैण्ड का सवाल नहीं है, यह सारे देश के डिफेंस और सिक्यूरिटी का सवाल है, क्योंकि वह एक बार्डर स्टेट है। अगर वे लोग हमारी इस शर्त को नहीं मानते हैं और एक एन्टी-नेशनल एटीट्यूड अपनाते हैं, तो क्या गवर्नमेंट सारी नागालैण्ड स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर के उस को मिलिटरी के हवाले कर देगी और उसको फ्री हैंड देगी ?

SHRI RUPNATH BRAHMA (Kokrajhar) : Sir, this is a very vital matter for us. My hon. friend has raised a very pertinent question.

MR. SPEAKER : Order, order. He is new to this House.

SHRI RUPNATH BRAHMA : I have a right to ask questions.

MR. SPEAKER : The hon. Member has no right to get up like this. He does not know the rules. For his benefit I may tell him that on a Calling Attention Notice it is not that anybody can get up and ask questions. Only those who have tabled the notice are allowed to put questions. Let him kindly see the Agenda and find out whether his name is there. He may kindly resume his seat.

श्रीमती इंदिरा गांधी : माननीय सदस्यों की चिन्ता मैं समझ सकती हूं। यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय, जब मैं आ रही थी तो मैं ने सुना, आप बता रहे थे कि कितनी दफा इस प्रश्न पर यहां बहस हुई है, वही प्रश्न पूछे जाते हैं, वही उत्तर भी दिए जाते हैं। यह प्रश्न भी अनेक बार यहां पूछा गया है और कुछ समझाने की कोशिश भी की गई है। एक बात जो पहले समझने की है वह यह है कि जो भी वहां नीति है वह कोई अलग से नहीं बनी है। नागालैण्ड सरकार से बातचीत कर के बनी है, आसाम सरकार से बातचीत कर के बनी है। जब भी हम विरोधियों से मिले हैं तो आसाम सरकार से, नागालैण्ड सरकार से उस के बारे में चर्चा की है, उन से राय ली है। अक्सर बातचीत के दौरान में वह लोग यहां रहे हैं जिस से कि हम बीच में भी उन से कह सकें कि यह यह बात हुई। और संग ही संग यह भी मैं कहना चाहती हूं कि हमारे जो फौज के लोग हैं उन को भी हर वक्त संग संग इस में रखा गया। तो यह सब जितनी उन्होंने बातें रखीं, वह सब सोची गई थीं और इसी वजह से जो नीति हम ने समझायी है, वह नीति वहां है।

बहुत सी बातें ऐसी हैं, जैसे यह सच है कि ऐसी घटनाऐं होती हैं जैसी इन्होंने बताईं। मणिपुर में भी कुछ हुआ है। होता रहता है। हम सब को मालूम है। लेकिन यह होते हुए भी जो एक शांति वहां आई है वह बहुत वर्षों से नहीं आई थी और पहले जो एक विचारधारा सब लोगों में थी वह जरूर बदली है। उस में जो हमारे खिलाफ थे, वह एक ग्रुप वहां पर है। वह ग्रुप खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उस ग्रुप के भी कुछ टुकड़े हुये हैं। तो हमें पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। खास तौर से सुरक्षा को कैसे हम भूल सकते हैं इस में तो सुरक्षा का सब से पहले सवाल उठता है? इसीलिए मैंने फौज वालों से और जैसा मैंने कहा कि नागालैण्ड सरकार और आसाम सरकार से हमेशा बातचीत की है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा दोनों सवाल यह गोल कर गईं। मैं ने पूछा था कि आप उन को बुलाती हैं, खाना खिलाती हैं, चाय पिलाती हैं, बात करती हैं तो क्या इतने दिनों में, इतनी मुलाकातें आप ने उन से कर लीं, किसी स्टेज पर उन्होंने यह माना है कि हम भारतीय यूनियन में रहने के लिए तैयार हैं? यह सवाल था। इस का जवाब तो दिया ही नहीं। और दूसरा था क्या मिलिटरी को आप देने के लिए तैयार हैं?

श्रीमती इंदिरा गांधी : देखिए, मिलिटरी जो है, वह कोई अलग सरकार नहीं है....

श्री कंवर लाल गप्त : पहले सवाल का जवाब नहीं दिया।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं किस का पहले जवाब दूं किस का पीछे, क्या इतना भी अगर मुझे हक़ नहीं है..... (**व्यवधान**).... आखिर मिलिटरी को देने का क्या मतलब है? मिलिटरी भी जो है वह हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे है। कोई अलग सरकार नहीं है। और डिफेंस मिनिस्ट्री भी, डिफेंस मिनिस्टर भी कैबिनेट के सदस्य हैं। यह सब बातें जो होती हैं, सब लोग मिल कर निर्णय लेते हैं।

दूसरे इन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे भारत में रहने के लिए तैयार हैं या नहीं। मेरा खयाल था कि मैं ने इसका जवाब दिया था पहले भी और अभी भी कि जो ग्रुप यहां आता है वह स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकता। लेकिन उन के आने से और गोलीबारी बन्द रहने से, यह भावना वहां की जनता में फैल रही है और उन का भी जो गुट है उस में कुछ मतभेद इस से आपस में फैला है। क्योंकि उन को कुछ लगा कि कुछ लोग इधर झुक रहे हैं तो दूसरे और अधिक विरोध की ओर गए। वहां एक विप्लववादी ग्रुप है .....

श्री कंवर लाल गुप्त : किसी ने भी कहा?

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं यह भी कहना चाहती हूं कि उन के लिए संभव नहीं है कि वह चीज उन शब्दों में कहें।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्यों नहीं संभव है?

श्रीमती इंदिरा गांधी : यह आप सब समझते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है..... (**व्यवधान**) देश का प्रधान मंत्री अगर यह कहे .....

MR. SPEAKER: She has clearly said that they have not said. What is the use of repeating it. The hon. Member may not agree with it; that is a different matter. But there is no ambiguity about it.

श्री कंवर लाल गुप्त : देश का प्रधान मंत्री यह बात अगर इस सदन में कहे..... (**व्यवधान**)..... प्रधान मंत्री का यह कहना कि उन के लिए संभव नहीं है कि वह यह कहें कि वह हिन्दुस्तान में रहना चाहते हैं, यह कहां तक उचित है और मैं समझता हूं कि इस तरह की बात प्रधान मंत्री को शोभा नहीं देती।

SOME HON. MEMBERS : Sir, on a point of order.

MR. SPEAKER : Order, order. All hon. Members may kindly resume their seats. I will call them one by one.

श्री शिवनारायण (बस्ती) इन की बपौती नहीं है, हर मेम्बर का बराबर हक है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बुलाऊंगा । सब को बुलाऊंगा ।

श्री बलराज मधोक : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है । देश का प्रधान मंत्री जब किन्हीं लोगों से बातचीत करता है तो वह देश की ओर से करता है और जिन लोगों से बातचीत करता है वह स्वयं कहता है कि वह यह नहीं कहते कि हम भारत में हैं या भारत में रहना चाहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भी गवर्नमेंट जो संविधान के अन्तर्गत काम करती है उसे किन्हीं ऐसे तत्वों से बात करने का अधिकार है जो कि देश के अन्दर रहने को तैयार नहीं और स्वयं उन्होंने माना है कि वह देश में रहने को तैयार नहीं हैं ।

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : Sir, just now you stated that there is no ambiguity in the reply of the Prime Minister. May I submit two things on this point? I am submitting them for your benefit. I do not want any reply from the Prime Minister.

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade) : The time of the House is being wasted.

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu) : What is the point of order?

MR. SPEAKER : I have said that the Prime Minister shall not answer any question. The point of order is directed to the Speaker. In the name of point of order, I do not want hon. Members to raise any debate. The point of order cannot be on the merits of the case and it should be directed to the Speaker. It should be specific.

SHRI HEM BARUA : I seek a clarification from you. When this question of Nagaland being under the External Affairs Ministry was raised on the floor of the House during Nehru's time, we were told . . .

MR. SPEAKER : How could a point of order arise now? There is no subject before the House on that particular question.

SHRI HEM BARUA : I want a clarification from you. This is what happened. Then we were told on the floor of the House that since Nagas have faith in Nehru and Shri Nehru happened to be in charge of External Affairs Ministry then this subject was dealt with by that Ministry. When Shri Lal Bahadur Shastri became the Prime Minister the same question was raised. When this matter cropped up here we were told by Shri Lal Bahadur Shastri that discussions were going on and that Nagaland would be transferred to the Home Ministry. What has happened to that discussion, nobody knows. When the present Prime Minister holds charge of Nagaland affairs the question naturally arises whether because the Nagas have absolute faith in her so Nagaland is continuing under the External Affairs Ministry.

MR. SPEAKER : There is no point of order.

SHRI HEM BARUA : I have submitted this for your benefit. I am not making any statement.

MR. SPEAKER : Will you kindly sit down now? There is no point of order.

SHRI HEM BARUA : I have not come to the point of order.

MR. SPEAKER : No, please..... (*Interruption*)

SHRI RUPNATH BRAHMA : Sir, I am extremely sorry that I had to interrupt. I did not want to ask any question but I wanted to make a statement. I know the procedure. The question put by one of the hon. Members was a very pertinent question and the position should have been made very clear by the Prime Minister. I think, now the Prime Minister has made the position very clear. I have, therefore, nothing more to say.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR) : Shri Hem Barua has made.....

MR. SPEAKER : I do not expect you to reply as a Minister.

SHRI S. C. JAMIR : Only some clarification. When the Naga People's Convention entered into an agreement with the Prime Minister of India, we had very specifically mentioned that Nagaland State should be under the External Affairs Ministry. He asked, "Why ?" We said that it was the wish of the Naga people. That is why even now it is being kept under the External Affairs Ministry. It is through an agreement which was approved by Parliament, and therefore cannot be changed without connecting the Nagaland State..... (*Interruption*)

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न मैं आप से पूछ रहा हूं । आपने कहा कि संविधान की धारा और नियम बताइये । मैं संविधान का जो शुरू का हिस्सा है उसकी तरफ़ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—जिसमें कहा गया है —

> "WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC"

तो, अध्यक्ष, महोदय, मैं सार्वभौम शब्द पर ज़ोर देना चाहता हूं :

MR. SPEAKER : I think, we are unnecessarily losing time over it. There is no point of order. You cannot change the decision of Government to have it under the Foreign Ministry by a point of order. If you want to change it, you can do it by a discussion.

श्री मधु लिमये : मैं वह नहीं चाहता हूं । आप एक मिनट में मेरी बात सुन लीजिए । अध्यक्ष महोदय, सवाल जो पूछा जाता है उसके लिये हमारे यहां नियम ५० है, जिस में कहा गया है कि तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिये, फैक्ट्स को इलूसिडेट करने के लिये सवाल पूछे जाते हैं । इन्होंने सवाल पूछा कि क्या जिन विद्रोही नागाओं के साथ आप बातचीत कर रही हैं, क्या इन में से किसी ने कहा है कि हिन्दुस्तान की सार्वभौमिकता को हम मान रहे हैं इस के जवाब में उन्होंने कहा—नहीं, लेकिन बाद में यह भी कहा कि ऐसा उन का कुबूल करना भी मुश्किल है । मैं समझता हूं कि यह उन को कहने की आवश्यकता नहीं थी । यह हमारे संविधान के खिलाफ़ है, दूसरों के गलत कामों पर यहां इस तरह से सफाई करना, स्पष्टीकरण देना या समर्थन करना—यह हमारे संविधान के खिलाफ़ है, हमारी सार्वभौमिकता का अपमान है । इस लिये मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि इस तरह के बयान वह आइन्दा न करें, जानकारी के लिये वह जवाब दें ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, १० साल से आज यही चल रहा है कि हेमबरुआ—नागा लैण्ड, प्रकाशवीर शास्त्री—काश्मीर, जार्ज फरनैन्डीज़—बम्बई और लिमये—जयन्ती शिपिंग कम्पनी—इन प्रश्नों पर अपना टाइम खराब करते हैं । इस तरह रोज़ाना टाइम खराब करने से पब्लिक का पैसा खराब होता है । आप इन को एक दफा में ही तय क्यों नहीं करते ?

MR. SPEAKER : I am in full agreement with you.

12.35 HRS.

REMAND OF MEMBER

(*Shri Ram Gopal Shalwale*)

MR. SPEAKER : I have to inform the House that I received a further communication from the Magistrate, First Class, New Delhi, yesterday which is as follows :—

> "Shri Ram Gopal Shalwale, Member, Lok Sabha, was produced before me and has been remanded to judicial custody till 16th December, 1967. He is at present lodged in Central Jail, Tihar, Delhi."